**राज्यपाल सचिवालय, बिहार**
**(जन–सम्पर्क शाखा)**
**राजभवन, पटना–800022**

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
**prrajbhavanbihar@gmail.com**
मोबाईल–9431283596

## प्रेस–विज्ञप्ति

# कुलाधिपति द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी–राज्यपाल–सह–कुलाधिपति

**पटना, 15** अक्टूबर 2018

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने अपने यहाँ सुनवाई के लिये दाखिल मामलों की 'कॉज लिस्ट' तैयार कर पुराने मामलों को प्राथमिकतापूर्वक उपस्थापित करने का निदेश राज्यपाल सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) को दिया है।

कुलाधिपति श्री टंडन ने पिछले दिनों विश्वविद्यालयों से जुड़े कई मामलों की सुनवाई के दौरान पाया है कि कुछ वर्षों पूर्व कुलाधिपतियों द्वारा निष्पादित मामलों में भी पारित आदेश का कई विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों द्वारा अनुपालन अबतक नहीं हो पाया है। कुलाधिपति द्वारा निष्पादित न्यायिक मामलों में पारित आदेश का अनुपालन अबतक नहीं हो पाने पर कुलाधिपति श्री टंडन ने आश्चर्य एवं दुःख व्यक्त किया है और कहा है कि ऐसे सभी मामलों को चिह्नित कर उनके समक्ष उपस्थापित किया जाये, जिनमें पारित आदेश का अनुपालन अबतक लंबित है। राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री टंडन ने कहा है कि पूर्व कुलाधिपतियों द्वारा पारित न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना संबंधित कुलपति, कुलसचिव, प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयीय अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। जिन मामलों में आदेशों का अनुपालन अबतक लंबित है, उनके बारे में कारण–पृच्छा कर वस्तुस्थिति की शीघ्र जानकारी ली जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि पारित आदेश से असहमति की स्थिति में अगर अबतक 'रिविजन' दाखिल नहीं किए गये हैं या किसी सक्षम न्यायालय में पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कि आदेशों की अवहेलना के पीछे गलत मंशा है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने संदर्भित मामलों में संबंधित अधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश अपने प्रधान सचिव को दिया है।

ज्ञातव्य है कि 4–5 वर्षों से भी अधिक पुराने कुछ मामलों में कुलाधिपति के आदेशों का कार्यान्वयन विश्वविद्यालयों द्वारा अबतक सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है। ज्ञातव्य है कि वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा सहित अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में पुराने मामलों में पारित आदेशों का अनुपालन अबतक लंबित है।

राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने समीक्षा के दौरान पाया है कि कुलाधिपति के स्तर पर सुनवाई के लिए लगभग 100 मामले दाखिल किये गये हैं। इन मामलों में पुराने मामलों की प्राथमिकतापूर्वक सुनवाई के लिए शीघ्र तिथियाँ निर्धारित करने का निदेश महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया है। राज्यपाल ने विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) को निदेशित किया है कि सुनवाई वाले मामलों की सूची तैयार कर पारदर्शितापूर्वक तिथियाँ निर्धारित कर दी जाएँ। कुलाधिपति ने सभी कुलपतियों को भी यह निदेशित किया है कि सुनवाई के दौरान अपने विश्वविद्यालयीय अधिकारियों को ससमय सभी अभिलेखों सहित कुलाधिपति न्यायालय में उपस्थित होने को कहें।

ज्ञातव्य है कि कुलाधिपति न्यायालय में दाखिल ज्यादातर मामले सेवा–नियमितीकरण, सेवान्त लाभ, प्रोन्नति, प्राचार्यों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति आदि से संबंधित हैं। राज्यपाल ने विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) को लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश प्रदान किया है।

.....